तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

सन्दर्भ सं० Ref. No. 542/रिट याचिका - 210/24 दिनांक Dated 24-7-24

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi-110001

Sub- Regarding Report in the matter of O.A. No. 681/2023 (I.A. No. 800/2023) In Re: Abhinay Kumar Rai V/s Bliss Delight & Ors. passed by Hon'ble NGT, New Delhi dated 23.04.2024.

Sir,

In compliance to the order dated 23.04.2024 passed by this Hon'ble National Green Tribunal in the matter O.A. No. 681/2023 (I.A. No. 800/2023), Abhinay Kumar Rai V/s Bliss Delight & Ors., the Report of U.P. Pollution Control Board, Lucknow is hereby attached with a request to put up before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi for kind perusal and consideration.

Enclosure:-As above

Your's Sincerely

(Dr. Umesh Chandra Shukla)
Regional Officer

Copy to:

1. Chief Environmental Officer (Circle-5), UPPCB, Lucknow in reference of letter No. H14503/C-5/159/OA No. 681/2023 dated 23/07/2024.
2. Law Officer-I, UPPCB, Lucknow.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate for UPPCB.

Regional Officer

Report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance of order dated 23.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 681/2023(I.A. no. 800/2023) In the matter of Abhinay Kumar Rai Vs Bliss Delight & Ors.

Report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance of order dated 23.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 681/2023(I.A. no. 800/2023) In the matter of Abhinay Kumar Rai Vs Bliss Delight &Ors.

1. That the Hon'ble NGT vide order dated 23.04.2024 in O.A. No. 681/2023(I.A. no. 800/2023) in the matter of Abhinay Kumar Rai Vs Bliss Delight &Ors. passed following directions:

"....10. UPPCB is also directed to file a fresh report disclosing the outcome of show cause notice.

11. Since, it has come on record that respondent no.1 is continuing with the construction activity without obtaining CTE and in spite of repeated opportunities, no explanation/response has been furnished by respondent no.1. Hence, we direct the UPPCB and other concerned administrative authorities to ensure that the respondent no.1 does not continue with any illegal construction in the meanwhile."

2. That based on the observation and facts found in the inspection dated 26.12.2023 conducted by Regional Office UPPCB, Lucknow, UP Pollution Control Board vide its letter dated 15.01.2024 has issued show cause notice under section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended against M/s Bliss Delight Block 1,2,3 and 4 GH-2 Sushant Golf City Lucknow for closure of the unit. Copy of show cause dated 15.01.2024 is **annexed herewith as Annexure-01.**
3. ThatUPPCB vide above mentioned letter dated 15.01.2024 has also issued show cause notice for imposition of Environmental Compensation against the unit.
4. That the Regional Office UPPCB, Lucknow inspected the site of M/s Bliss Delight Block 1,2,3 and 4 GH-2 Sushant Golf City Lucknow on 09.07.2024 in the presence of Mr. Mool Chandra, Supervisor of the unit.
5. That during inspection dated 09.07.2024 it was found that the unithas completed 60 percentconstruction of two towers and construction of rest 01 tower is not started. It was informed by Mr. Mool Chandra, Supervisor of the unit that in compliance of order dated 23.04.2024 passed by Hon'ble NGT in O.A. No. 681/2023(I.A. no. 800/2023) in the matter of Abhinay Kumar rai Vs Bliss Delight &Ors., Lucknow Development Authority has stopped the construction activity.

During inspection dated 09.07.2024 the construction work was found non-operational.

6. The unit has not obtained prior CTE from UPPCB for construction of the project.
7. That considering above facts and non-compliance made by M/s Bliss Delight Block 1,2,3 and 4 GH-2 Sushant Golf City Lucknow, developed by M/s RR Civiltech private limited, ground floor Raja Ram Kumar Plaza 75, Hazratganj, Lucknow, UPPCB has confirmed the Show Cause Notice dated 15.01.2024 and issued closure order against the unit under section 31 A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended.UPPCB vide its letter dated19.07.2024 has imposed Environmental Compensation of Rs 1,29,15875/ (Rs One Crore Twenty-Nine Lakh Fifteen Thousand Eight Hundred Seventy-Fiveonly).Copy of letter dated 19.07.2024 is annexed herewith as **Annexure -02**.

The above report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before Hon'ble NGT for kind perusal and consideration.

Your's Sincerely

24/07/24

(Dr. Umesh Chandra Shukla)
Regional Officer,
Lucknow

Annexure-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H05763 /सी–5/159/0A No 681/24 दिनांक 15/01/24
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स ब्लिस डिलाइट,
ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी,
लखनऊ।
9838628505

यह कि मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ में आवासीय परियोजना विकसित की जा रही है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा।

यह कि मा0 एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित वाद संख्या–ओ0ए0 नं0–681/2023 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2023 के अनुपालन में आवासीय परियोजना मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.12.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उपस्थित परियोजना प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना का प्लाट एरिया 16138 वर्गमीटर तथा कुल बिल्टअप एरिया 37536.91 वर्गमीटर है, जिसका अंक्षाश व देशान्तर 26.778818, 81.017059 है। उक्त स्थल पर तीन टावर का निर्माण किया जाना है, जिसमें 02 टावर का सिविल कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण पाया गया तथा तीसरे टावर का निर्माण अभी प्रारम्भ नही किया गया है। निरीक्षण के समय उक्त स्थलों पर निर्माण में प्रयुक्त सामग्री जैसे गिट्टी, मौरंग एवं बालू तथा खुदी हुई मिट्टी खुले में अव्यस्थित रूप से एकत्रित पायी गयी एवं निर्माणाधीन स्थल के चारों ओर ग्रीन जाली की पूर्ण व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी। निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर जल छिड़काव की भी व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन से अत्यधिक मात्रा में धूल के कण उड़ते पाये गये। निर्माण सामग्री तथा निर्माण कार्य में परिवहन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले वाहन पूर्णतया कवर्ड नही पाये गये। इकाई द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये जाने संबंधी सूचना नही प्रेषित की गयी है।

यह कि आख्यानुसार परियोजना द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सीवर लाइन/एस0टी0पी0 स्थापित नही किया गया है। इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सहमति (जल/वायु) प्राप्त नही की गयी है, जोकि उक्त अधिनियमों का उल्लंघन है। इकाई को सहमति (जल एवं वायु) आवेदन किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–1648/सहमति–3378ए/2023 दिनांक 21.10.2023 एवं पत्र संख्या–2037/सहमति–3378ए /2023 दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया है, परन्तु इकाई द्वारा अपना प्रतिउत्तर प्रेषित नही किया गया है, जोकि पर्यावरणीय अधिनियम में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन दर्शाता है।

यह कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या–10854/2016 मैसर्स गोयल गंगा डेवलपर्स इण्डिया प्रा0लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरोमेण्ट एण्ड फारेस्ट एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 10.08.2018 के मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"57.......This court has in a number of cases awarded 5% of the project cost as damages. This is the general law. However, in the present case we feel that damages should be higher keeping in view the totally intransigent and unapologetic behaviour of the project proponent........"

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–2199/सहमति– 3378ए/23 दिनांक 27.12.2023 एवं द्वारा पत्रांक–2196/सहमति– 3378ए/2024 दिनांक 11.01.2024 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या–10854/2016 मैसर्स गोयल गंगा डेवलपर्स इण्डिया प्रा0लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरोमेण्ट एण्ड फारेस्ट एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 10.08.2018 के अनुक्रम में इकाई के विरूद्ध परियोजना की कुल लागत का 05 प्रतिशत की धनराशि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

...2

(2)

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31'ए' के अन्तर्गत इकाई मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है–

1. यह कि क्यों न मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तुरन्त से बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ के निदेशकगणों के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के अदेशों के अनुपालन में प्रश्नगत परियोजना मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ के विरूद्ध परियोजना की कुल लागत का 05 प्रतिशत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करें, अन्यथा निर्धारित अवधि में संतोष जनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत परियोजना के विरूद्व उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त परियोजना की कुल लागत का विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि उक्त परियोजना के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जा सके।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी उद्योग को प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

Annexure - 2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या– H14399 /सी–5/ OA No - 681/2024 दिनांक 19/7/2024
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स ब्लिस डिलाइट,
ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी,
लखनऊ। मो० नं० 9838628505

यह कि मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ में आवासीय परियोजना विकसित की जा रही है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा।

यह कि मा0 एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित वाद संख्या–ओ0ए0 नं0–681/2023 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2023 के अनुपालन में आवासीय परियोजना मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ के विरूद्ध बोर्ड के पत्रांक–एच 05763/सी–5/159/ओ0ए0 नं0–681/24 दिनांक 15.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31'ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–429/सहमति–3378/24 दिनांक 09.07.2024 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है। आख्यानुसार मैसर्स आर0आर0 सिविलटेक प्रा0लि0, ग्राउण्ड फ्लोर राजारामकुमार प्लाजा, 75, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा विकसित की जा रही आवासीय परियोजना मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना के निर्माण का कार्य बन्द पाया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उपस्थित परियोजना प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना का प्लाट एरिया 16138 वर्गमीटर तथा कुल बिल्टअप एरिया 37536.91 वर्गमीटर है, जिसका अंक्षाश व देशान्तर 26.778818, 81.017059 है। उक्त स्थल पर तीन टावर का निर्माण किया जाना है, जिसमें 02 टावर का सिविल कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण पाया गया तथा तीसरे टावर का निर्माण अभी प्रारम्भ नही किया गया है। इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक 15.01.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर दिनांक 30.05.2024, जोकि क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में दिनांक 31.05.2024 को प्राप्त है। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 11.06.2024 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को इकाई की कुल प्रोजेक्ट कास्ट बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा उक्त के संबंध में वॉंति सूचना प्रेषित नही की गयी है। इकाई द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर दिनांक 30.05.2024 में परियोजना के निर्माण हेतु सुशांत गोल्फ सिटी से सेल डीड की राशि रू0 25,83,17,515/– (पच्चीस करोड़ तिरासी लाख सत्रह हजार पॉच सौ पन्द्रह रूपये मात्र) दर्शायी गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 12.07.2024 द्वारा इकाई का प्रतिउत्तर दिनांक 30.06.2024 को संतोषजनक न होने के कारण अस्वीकार एवं निस्तारित कर दिया गया है।

यह कि आख्यानुसार परियोजना द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सीवर लाइन/एस0टी0पी0 के संबंध में कोई भी जानकारी नही दी गयी है और न ही एस.टी.पी. के संबंध में कोई प्रस्ताव दिया गया है। उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–429/सहमति–3378/24 दिनांक 09.07.2024 द्वारा इकाई के विरूद्ध दिनांक 15.01.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस को इकाई द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर दिनांक 30.05.2024 में परियोजना की कुल लागत रू0 25,83,17,515/– (पच्चीस करोड़ तिरासी लाख सत्रह हजार पॉच सौ पन्द्रह रूपये मात्र) का 05 प्रतिशत रू0 1,29,15,875/– (एक करोड़ उन्तीस लाख पन्द्रह हजार ऑठ सौ पचहत्तर रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

...2

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31'ए' के अन्तर्गत इकाई मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 15.01.2024 की पुष्टि करते हुए निम्नानुसार बन्दी आदेश/निर्देश जारी किया जाता है–

1. मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तुरन्त से बन्द कर दिया जाए।
2. मैसर्स ब्लिस डिलाइट, ब्लाक–1, 2, 3 एवं 4, जी0एच0–02, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ के विरूद्ध रू0 1,29,15,875/– (एक करोड़ उन्तीस लाख पन्द्रह हजार ऑठ सौ पचहत्तर रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 1,29,15,875/– (एक करोड़ उन्तीस लाख पन्द्रह हजार ऑठ सौ पचहत्तर रूपये मात्र) का भुगतान जिसका payment gateway (URL: https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown मे निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें–

1.	Nature of Pollution /प्रदूषण की प्रकृति–	Air Pollution
2.	Regional offices/क्षेत्रीय कार्यालय–	Lucknow
3.	EC imposed in compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया–	NGT order

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को जारी बन्दी आदेश/निर्देश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

भारतीय डाक

India Post

(Dial [illegible]) (Wear Masks, Stay Safe)

[illegible]

[illegible] VIKAS NAGAR SO ([illegible])

Counter No:1,29/07/2024,10:16

To:MRS BLIS DILIETS,.

PIN:226001, Lucknow GPO

From:UP PRDSHAN ,LKO

Wt:20gms,REG=17.0

Amt:25.96,Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)

(Track on www.indiapost.gov.in)